अंक 2
संख्या 5

शनिवार
25 जनवरी
सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

1. उपाध्यक्ष का चुनाव 1
2. बिजिनेस कमेटी का चुनाव 1
3. यूनियन केन्द्र के सुपुर्द विषयों की कमेटी 2
4. सभा स्थगित करने का प्रस्ताव 13
5. उपाध्यक्ष को बधाइयां 17
6. अध्यक्ष के नाम श्री सोमनाथ लाहिरी का पत्र 19

भारतीय विधान-परिषद्

शनिवार, 25 जनवरी, सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद् की बैठक कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में दिन के ग्यारह बजे से माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपाध्यक्ष का चुनाव

***अध्यक्ष:** माननीय उपाध्यक्ष के पद के लिए डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी ही अकेले उम्मीदवार हैं जिनको वैध रूप से नामजद किया गया है। इसलिए मैं उन्हें नियमित रूप से निर्वाचित घोषित करता हूं।

अब डॉ. पट्टाभि सीतारमैया उस प्रस्ताव को पेश करेंगे जो उनके नाम में है।

बिजिनेस कमेटी का चुनाव

डॉ. बी. पट्टाभि सीतारमैया (मद्रास : जनरल): अध्यक्ष महोदय, जो तजबीज मेरे सुपुर्द की गई है, मैं आपके सामने पहले अंग्रेजी में पढ़कर सुनाता हूँ:

> ''यह परिषद् निश्चय करती है कि निम्नलिखित सदस्यों की एक कमेटी नियुक्त की जाये:
>
> 1. माननीय सर एन. गोपालस्वामी आयंगर,
>
> 2. श्री के.एम. मुंशी,
>
> 3. श्री विश्वनाथदास।
>
> ''जो सम्पूर्ण भारत का विधान बनाने के लिए इस परिषद् की भावी कार्यवाहियों के क्रम, सिफारिश और परिषद् की बैठक का अगला अधिवेशन शुरू होने से पहले अपनी रिपोर्ट पेश करें।"

हिंदुस्तानी में इसका मतलब मैं बतलाऊंगा। इस प्रस्ताव का मतलब यह है कि इस प्रस्ताव के द्वारा एक कमेटी, जिसमें तीन बुजुर्ग सदस्य होंगे, मुकर्रर की जाये। इनका काम यह होगा कि आयन्दा (भविष्य) के कार्यक्रम का सिलसिला निर्णय करके सिफारिश करें और अपना निवेदन आगामी बैठक शुरू होने से पहले ही पेश करें।

यह तजबीज देखने में तो छोटी-सी मालूम होती है मगर काफी अहम है।

हमने यहां तक एक मंजिल काट ली है। फर्ज कीजिये एक आदमी सफर पर निकलने वाला है और पहला हिस्सा आसानी से काट लेता है। मगर थोड़ी देर के बाद उसके रास्ते में कितनी ही कठिनाइयां पेश आयेंगी और कितनी-कितनी रुकावटें पेश आयेंगी, जिनकी आड़ में और रुकावटें डाली जायेंगी, इसलिए वह

---

*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

[डा. बी. पट्टाभि सीतारमैया]

क्या करता है? वह सफर को मुल्तवी करके और अहलकारों को आगे भेजकर जितनी कठिनाइयां पेश आ सकती हैं उनका अन्दाज करना चाहता है। हूबहू हम भी इस वक्त पर वही काम करना चाहते हैं और एक कमेटी मुकर्रर करके उसके द्वारा यह मालूम करना चाहते हैं कि आयन्दा हमें अपना कार्यक्रम किस रीति से चलाना चाहिए। किन सिलसिलों में हम को काम करने की जरूरत है, इस कमेटी को मुकर्रर करने का यही मकसद है। आपको याद होगा कि कल एक मुशावर्ती कमेटी मुकर्रर की गई है और आज उसके बाद एक और कमेटी मुकर्रर की जायेगी। इसकी मदद से हमें मालूम होगा कि आयन्दा मर्कजी हुकूमत का कार्यक्रम कैसा होना चाहिए। इन बातों के साथ मैं इस तजबीज को आपके सामने पेश करता हूं और कुछ कहने की जरूरत नहीं है।

***श्री बी. गोपाल रेड्डी:** मैं इसकी ताईद करता हूं।

***अध्यक्ष:** क्या कोई इस पर बोलना चाहता है?

***डॉ. बी. पट्टाभि सीतारमैया:** श्रीमान्, इस सम्बन्ध में एक छोटा-सा संशोधन है।

***अध्यक्ष:** श्री सत्यनारायण सिनहा ने एक संशोधन की सूचना दी है।

***श्री सत्यनारायण सिन्हा** (बिहार : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं सविनय निवेदन करता हूं कि इस प्रस्ताव के अन्त में नीचे लिखा पैरा जोड़ दिया जाये:

> ''परिषद् आगे निश्चय करती है कि इस कमेटी की बैठक के लिए कम-से-कम दो सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी।''

***अध्यक्ष:** डॉ. पट्टाभि सीतारमैया, क्या आप यह संशोधन मंजूर करते हैं?

***डॉ. बी. पट्टाभि सीतारमैया:** मैं संशोधन मंजूर करता हूं।

***अध्यक्ष:** तो मैं संशोधित प्रस्ताव पर वोट लेता हूं।

प्रस्ताव संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

यूनियन केन्द्र के सुपुर्द विषयों की कमेटी

***माननीय श्री सी. राजगोपालाचार्य** (मद्रास : जनरल): मैं अपने नाम से भेजे प्रस्ताव को पेश करता हूं। प्रस्ताव इस प्रकार है:

चूंकि मन्त्री प्रतिनिधि मण्डल के 16 मई वाले वक्तव्य के पैरा 15 (1) में जो विषय यूनियन केन्द्र के सुपुर्द किये गये हैं, वह खुलासा और आम तौर पर चार मोटी-मोटी श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, और चूंकि संघ-विधान और अन्य विधानों के निर्माण के लिए तथा इसलिए कि संघ-विधान और अन्य विधानों की—जिनका जिक्र वक्तव्य के पैराग्राफ 19 खंड (5) में आया है—धाराओं में कोई पुनरावृति या परस्पर विरोध न हो और इन सब विधानों में एकरूपता लायी जा

सके उन विषयों की सीमा समझ लेना आवश्यक है, और चूंकि वक्तव्य के पैराग्राफ 19 के खंड (5) में उल्लिखित विधानों का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पहले उन बातों की सूची तैयार कर लेना आवश्यक है जो यूनियन के सुपुर्द विषयों के अन्तर्गत है और उनसे परस्पर सम्बन्धित है।

यह परिषद् निश्चय करती है—

(अ) कि, उक्त विषयों की जांच करने तथा 15 अप्रैल, 1947 तक इस परिषद् के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए एक कमेटी बनायी जाये जिसके एकाकी हस्तांतरित मत पद्धति के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार चुने गये शुरू के बारह सदस्य हों, तथा

(ब) कि, अध्यक्ष इस कमेटी में दस और व्यक्ति बढ़ा सकते हैं और इन सब अतिरिक्त सदस्यों या इनमें से किसी सदस्य का चुनाव उनके किसी भी समय और किसी भी तरीके से अध्यक्ष निश्चयानुसार कर सकते हैं।

श्रीमान्, मैं इस विषय पर पहले ही विचार करना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि मेरे इस प्रस्ताव पर तीन संशोधन पेश होने वाले हैं। यह संशोधन सहायक विषयों से सम्बन्ध रखते हैं। श्री मुन्शी और श्री सत्यनारायण सिनहा उनको समय आने पर पेश करेंगे और मैं उन्हें स्वीकार करने का इरादा रखता हूं। इसलिए संशोधनों के स्वीकार होने पर मूल-प्रस्ताव जैसा बन जायेगा, उसे मैं अभी उसी शक्ल में पढ़ूंगा, ताकि सारे मामले को समझने में सहूलियत हो। प्रस्ताव का पहला अंश, अर्थात् भूमिका पहले की तरह ज्यों-की-त्यों बनी रहती है, किंतु उसका परिवर्तित अंश बदलकर इस प्रकार हो जाता है:

''यह परिषद् निश्चय करती है—

(अ) कि एक कमेटी जिसके निम्न सदस्य हों:

1—माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू.....

***श्री सी.ई. गिब्बन** (मध्यप्रान्त तथा बरार : जनरल): श्रीमान्जी, मुझे यहां पर वैधानिक आपत्ति है। जब तक इस प्रकार के संशोधन सरकारी तौर से पेश नहीं हो जाते तथा प्रस्तावक उन्हें मंजूर नहीं कर लेता तब तक उनको मूल-प्रस्ताव में कैसे मिलाया जा सकता है?

***अध्यक्ष:** उन्होंने संशोधन का कोई अंश नहीं मिलाया है। वह उसे केवल पढ़ रहे हैं।

***श्री सी.ई. गिब्बन:** संशोधन पेश होने से पहले वह उसे मंजूर कर रहे हैं।

***अध्यक्ष:** उनका कहना है कि वह उसे स्वीकार करने का इरादा करते हैं।

***माननीय श्री सी. राजगोपालाचार्य:** मैंने प्रस्ताव को उसी रूप में पढ़ दिया है जैसा वह पत्र पर दर्ज है तथा जो संशोधन प्रसारित किये गये हैं मैंने उनका

[माननीय श्री सी. राजगोपालाचार्य]

जिक्र किया है। मेरा ख्याल है कि यदि मैंने सदस्यों को पहले से ही बता दिया कि मैं उन संशोधनों को स्वीकार करने का इरादा रखता हूं तो उससे बहुत समय बच जायेगा। मैं उसे (प्रस्ताव को) पढ़ रहा हूं ताकि सारा विषय साफ-साफ समझा जा सके यदि आज्ञा हो तो मैं उसे आगे पढ़ूं।

***अध्यक्षः** पढ़िये।

***माननीय श्री सी. राजगोलापाचार्यः** परिवर्तित अंश इस प्रकार है:

''यह परिषद् निश्चय करती है—

(क) कि एक कमेटी बनायी जाये जिसके शुरू में निम्नांकित सदस्य हों:

1. माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू।
2. श्री शरतचन्द्र बोस।
3. डॉ. पट्टाभि सीतारमैया।
4. माननीय पं. गोविन्दबल्लभ पंत।
5. श्री जयरामदास दौलतराम।
6. श्री विश्वनाथदास।
7. माननीय सर एन. गोपालस्वामी आयंगर।
8. बख्शी सर टेकचन्द।
9. दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर।
10. श्री डी.पी. खेतान।
11. श्री एम.आर. मसानी।
12. श्री के.एम. मुंशी।

यह कमेटी उक्त विषयों की जांच करके 15 अप्रैल, 1947 तक परिषद् के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करे।

(ख) अध्यक्ष इस कमेटी में दस व्यक्ति और बढ़ा सकते हैं तथा इन सब अतिरिक्त सदस्यों या उनमें से किसी का चुनाव ऐसे समय और ऐसे तरीके से किया जा सकता है जैसा कि अध्यक्ष तय करें।

(ग) कमेटी का कोरम फिलहाल कमेटी के सम्पूर्ण सदस्यों की संख्या का एक तिहाई होगा, तथा कमेटी की इत्तफाकिया खाली जगहें, खाली होने के बाद जहां तक हो सके जल्दी, असेम्बली के सदस्यों में से ही अध्यक्ष द्वारा नामजदगी से पूरी कर दी जायेंगी।''

श्रीमान्, इस प्रस्ताव का उद्देश्य विधान बनाने में इस परिषद् की मदद करना है ताकि भविष्य में, जब परिषद् के विभिन्न विभाग आपस में सम्पर्क रखकर या न रखकर अपना-अपना विधान बनाने लगें तो उनकी विभिन्न कार्यवाहियों में

पुनरावृत्ति या परस्पर विरोध की गुंजाइश न रह जाये। इसलिए मुझे उन संभावनाओं को स्पष्ट करने की आज्ञा दी जाये जिनसे हम बचना चाहते हैं।

श्रीमान्, इस परिषद् के सुपुर्द बड़ा गंभीर कार्य किया गया है, इतना कठिन है कि इससे पहले दुनिया की किसी विधान-परिषद् को शायद ही करना पड़ा हो। जिन मतभेदों को तय करना है, वे अगणित हैं, जिस जनसंख्या को संतुष्ट करना है वह बहुत बड़ी है और जो समस्याएं इस परिषद् के सामने हैं वह इतनी जटिल हैं जितनी इससे पहले शायद ही किसी विधान-परिषद् के सामने उपस्थित हुई हों। ब्रिटिश सरकार की घोषणा ने सारी बातें काफी साफ कर दी हैं, लेकिन फिर भी हम जितनी चाहते हैं, वे उतनी साफ नहीं हुई हैं। यदि हम ब्रिटिश सरकार की घोषणा को, जिस पर इस परिषद् का कार्यक्रम निर्भर है, परीक्षा करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें किसी विषय को स्पष्टतया तय नहीं किया गया।

नं. 1—यह तय किया गया है कि हमें संयुक्त भारत के लिए विधान बनाना है।

नं. 2—हमें ऐसा विधान बनाना है कि जहां केन्द्र को रक्षा, यातायात तथा विदेशी मामलों के अधिकार दिये गये हैं तथा उनके साथ ही उक्त विभागों के लिए आवश्यक धन इकट्ठा करने के भी अधिकार प्राप्त हैं।

और तीसरी बात यह है कि एक दूसरा सिद्धांत नियत किया गया है कि अवशिष्ट अधिकार (Residuary powers) अर्थात् वे समस्त अधिकार, जो केंद्रीय सरकार को हस्तांतरित नहीं किये गये हैं, प्रांतों के हाथ में रहने चाहिए। इसके बाद चौथी बात यह है—एक सहायक बात और तय की गयी है कि प्रांत जिन गुटों में शामिल हों और वे उनको, जो अपने अधिकार देने के लिए राजी हो जायें, वह अधिकार उन गुटों के मिल जायेंगे। यूनियन के विषयों के अलावा दूसरे सभी विषय तथा अवशिष्ट अधिकार प्रांतों के पास रहने चाहिएं। यूनियन के विषयों तथा अधिकारों के अतिरिक्त शेष सभी विषय तथा अधिकार रजवाड़ों के पास बने रहेंगे। यह घोषणा के वाक्यांश 15 के (3) तथा (4) उपवाक्यांश हैं। आगे यह निर्धारित किया गया है कि विधान पर दस वर्ष बाद पुनर्विचार हो सकेगा तथा इस पुनर्विचार के सिलसिले में प्रारम्भिक कार्रवाई करने का अधिकार प्रांतों को ही दिया गया है—ये सिद्धांत वाक्यांश 15 में दिये हुए हैं।

लेकिन हमें इस पर कुछ और गौर से विचार करना चाहिए। उपवाक्यांश (1) में दिया है:

> ''उक्त विषयों के लिए जितने धन की जरूरत हो उसे इकट्ठा करने के लिए सभी आवश्यक अधिकार यूनियन को होने चाहिएं।''

दरअसल, अधिकारों का मतलब उन कानूनों को लागू करने का अधिकार होगा जो धन मुहैया करने के लिए जरूरी होते हैं तथा, ऐसा होने पर उनके अन्तर्गत धन वसूल करने और संभवत: जहां-कहीं इस सिलसिले में आवश्यकता पड़े, उचित अदालती कार्रवाई जारी करने का अधिकार अपने आप आ जाता है। अब यदि हमारे अधिकारों का मतलब इस प्रकार के अधिकारों से नहीं है तो ऐसे अधिकार

[माननीय श्री सी. राजगोपालाचार्य]

किस काम के! किंतु इस आशय की पूर्ति के लिए यहां पर कोई व्यवस्था नहीं की गयी। फिर यदि हम धारा 19 पर विचार करते हैं, जो धारा 15 में लिखे गये सिद्धान्तों को अमल में लाने की कार्य विधि बताती है तो उसमें हमें एक विचित्र त्रुटि दिखाई देती है। वाक्यांश 19 के उपवाक्यांश (5) में बताया गया है कि विभाग (Sections) प्रांतीय विधान बनाने का कार्य प्रारम्भ करेंगे और फिर वे यह भी तय करेंगे कि गुट-विधान बनाया जाये या नहीं; और यदि गुट-विधान बनाया जाये तो कौन-कौन से प्रांतीय विषय गुट के सुपुर्द किये जायें। फिर विभागों (सेक्शनों) तथा रजवाड़ों के प्रतिनिधि यूनियन का विधान बनाने के लिए एकत्रित होंगे। लेकिन इस बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गयी कि गुट-विधान कब और कैसे तय किया जायेगा। सेक्शन इसका फैसला करेंगे कि गुट-विधान बनेगा या नहीं, और वे यह भी तय करेंगे कि कौन-कौन से प्रांतीय विषय गुटों के सुपुर्द किये जायें। इन दो बातों के अलावा स्वयं गुट-विधान को निश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

इसके बाद यदि हम अल्पसंख्यकों की कमेटी की व्यवस्थाओं की परीक्षा करें तो वहां हम यही देखते हैं। एडवाइजरी कमेटी मौलिक अधिकारों की सूची, अल्पसंख्यकों के बचाव के वाक्यांशों तथा कबायली और पृथक् क्षेत्रों की शासन योजना पर यूनियन विधान-परिषद् के पास अपनी रिपोर्ट भेजेगी; और उस इस बारे में भी सलाह देगी कि यह अधिकार प्रांत, गुट अथवा यूनियन में से किस के विधान में शामिल किये जायें। अब हम तर्क द्वारा इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जब एडवाइजरी कमेटी अपनी रिपोर्ट यूनियन-परिषद् के पास भेजती है तो यूनियन-परिषद् को यह फैसला करने का अधिकार होना चाहिए कि उक्त अधिकार प्रांत, गुट अथवा यूनियन किसके विधान में शामिल किये जायें। यदि प्रांत या गुट का विधान पहले ही निश्चित हो जाये और बाद में यूनियन-परिषद् की बैठक में यह फैसला हो कि उक्त अधिकार प्रांत या गुट विधान में शामिल किये जायें, तो फिर किस कार्य-विधि का अनुसरण किया जायेगा? इसलिए, यदि हम मंत्री-मिशन की घोषणाओं के मन्तव्यों अथवा इस परिषद् के प्रस्तावों पर अमल करने से पहले हमें आपस में पर्याप्त सम्पर्क रखना होगा। जो कार्यक्रम वाक्यांश 19 में निर्धारित किया गया है, यदि हम अक्षरशः उसकी व्याख्या करते हैं और यह मान लेते हैं कि जिस-जिस बैठक में, जो कुछ करने के लिए कहा है उसे हम अभी यहां कर लें तथा और कुछ न करें तो हम मन्त्री-मिशन की घोषणा के स्पष्ट इरादों को पूरा कर दिखाने के लिए अन्त में भारी मुश्किलों में पड़ जायेंगे। इन सब बातों पर विचार करते हुए यह आवश्यक हो गया है—हमें यह आवश्यक जान पड़ता है कि यह प्रस्ताव एक ऐसी कमेटी बनाने के लिए पेश किया जाये जो उक्त विषयों पर आवश्यक विचार करेगी और प्रारम्भिक अधिवेशन समाप्त होने से पहले इस सभा के सामने अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी, ताकि हम अपना भावी कार्यक्रम तैयार कर सकें।

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, इस परिषद् को बड़े गम्भीर विषयों पर विचार

करना है और हमें बहुत कुछ सोच-विचार करना पड़ेगा। हमारा इस ख्याल से काम नहीं चल सकता कि हम यहां पर केवल पहले से तयशुदा फैसलों, विचारों तथा कार्यक्रमों पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगाने आए हैं इस विधान-परिषद् में हमें काफी सारगर्भित तथा स्वतंत्र सोच-विचार करना है, इसलिए जो काम हमारे सामने हैं उनको दृष्टि में रखते हुए हमें एक सिलेक्ट कमेटी की सहायता की आवश्यकता है जो हमारे मार्ग में आने वाली कठिनाइयों पर विचार करके हमें सलाह दे सके। इस उद्देश्य से ही इस कमेटी के बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इस कमेटी का ध्येय मन्त्री-मिशन के वक्तव्य के महत्त्वपूर्ण इरादों तथा इस प्रकार के अन्य किसी इरादे को नष्ट करने का नहीं है। यह कमेटी हमें हमारी कठिनाइयों तथा उनका हल ढूंढ निकालने में मदद देगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो कहूंगा कि यह न केवल सभ्यता या सौजन्य का ही तकाजा है बल्कि राजनीतिज्ञता का भी तकाजा है कि जब हम किसी मामले पर सोच-विचार करें तो उनका ख्याल रखें जो गैरहाजिर हैं, जो अपने से गैर हैं।

यही कारण है कि प्रत्येक प्रस्ताव पेश करते समय माननीय सदस्यों ने उन लोगों के उद्देश्यों तथा इरादों का भी पूरा ध्यान रखा है जो अभी तक परिषद् में उपस्थित नहीं हैं। हम देखते हैं कि गलतफहमी पैदा होने की अनेक सम्भावनाएं हैं। हम उन कठिनाइयों को पहले से ही जानने तथा उनकी संभावनाओं को यथाशक्ति दूर करने की कोशिश करते हैं अत: इस बारे में मैं बता देना चाहता हूं कि जो लोग अनुपस्थित हैं वह मेरे द्वारा प्रस्तावित इस कमेटी के उद्देश्य को समझने में भूल न करें। मुस्लिम लीग की नीति अपने लिए एक पृथक् सर्वसत्ता सम्पन्न राज्य प्राप्त करना है। किन्तु इस विधान-परिषद् ने अपना काम मन्त्री-मिशन के वक्तव्य के आधार पर करना शुरू किया हैं और यदि सम्राट की सरकार की घोषणा में कोई चीज साफ शब्दों में कही गयी है तो वह यह है कि भारत में केवल एक सर्वसत्ता-सम्पन्न राज्य होगा। यह बात असंदिग्ध रूप से साफ कर दी गयी है कि भारत को दो सर्वसत्ता-सम्पन्न राज्यों में बांटने की बात सोची नहीं जा सकती। इससे जो कुछ हम कर रहे हैं उनमें से बहुत सी बातों का अपने आप स्पष्टीकरण हो जाता है और हमारे बीच जिन गलतफहमियों की सम्भावना है उनमें से बहुत सी दूर हो जाती हैं मैं इस प्रकार भी कह सकता हूं कि लीग ने अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए गलत रास्ता अख्तियार किया है। यदि उन्होंने अपनी मांगों को वहां तक ही सीमित रखा होता जहां तक अपनी नीति के अनुसार न्यायत: वे मांग सकते थे, तो शायद लीग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती और वह वर्तमान कठिनाइयों में न पड़ती। लीजिए अब मैं बिल्कुल साफ-साफ कहता हूं। मुस्लिम लीग के लिए सब से बड़ी कठिनाई यह है कि अब उसे परिषद् में शामिल होना पड़ेगा और इस तरह उसे निर्भ्रांतरूप से खुले तौर पर भारत में केवल एक सर्वसत्ता सम्पन्न राज्य स्वीकार करना पड़ेगा। यही कारण है कि उसे परिषद् में शामिल होना भारी पड़ रहा है और इसके लिए बारंबार टालमटोल की जा रही

[माननीय श्री सी. राजगोपालाचार्य]

है। यही कारण है। कि बड़े-बड़े दल अपने विचार-विनिमय के लिए जो तारीखें नियत करते हैं, लीग हमेशा अपनी बैठकों की तारीखें उनके बाद ही मुकर्रर करती है। यही कारण है कि आज हम देखते हैं कि परिषद् की पिछली बैठक के स्थगित होने के बाद भी लीग अभी तक अपना फैसला करने तथा हमारे साथ शामिल होने में असमर्थ है। हमें दूसरे पक्ष की भी कठिनाइयां समझनी चाहिए। यदि लीग अब परिषद् में आती है तो वह अपनी 'अलग रहने की नीति' छोड़कर तथा यह अच्छी तरह समझ-बूझ कर आती है कि भारत केवल एक सर्वसत्ता-सम्पन्न राज्य होगा। यह काम यकायक करना उसके लिए कठिन है। हमें इन कठिनाइयों को महसूस करना चाहिए और उनकी इस देर का गलत मतलब न लगाना चाहिए। हम चाहते हैं कि मुस्लिम लीगी सदस्यों को इस समय इस परिषद् में आने तथा हमारे साथ मिलकर काम करने में जो अड़चनें हैं उन्हें हम भलीभांति समझकर यथा सम्भव शीघ्रता से अपना काम प्रारम्भ कर दें। उन्हें इस विषय पर सोचने दीजिए। हमें उनको शामिल होने के लिए काफी समय देना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जब तक वह अपना कोई फैसला नहीं करते तब तक हम अपना काम ही बन्द कर दें, सोच-विचार करना छोड़ दें तथा हाथ-पर-हाथ रखे बैठे रहें। इसका परिणाम यह होगा कि हमारा काम अनिश्चित् काल तक टलता रहेगा। इसलिए श्रीमान्, मुझे इस प्रस्ताव की सिफारिश करने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि हमें प्रस्तावित बारह सदस्यों की उक्त कमेटी बना देनी चाहिए, ताकि वह सब कठिनाइयों को सोच सकें और हमें सलाह दे सकें जिससे हम भारत के लिए एक ऐसा विधान बना सकें जिससे उन लोगों के लिए कोई अड़चन पैदा न हो, जिन्हें उस पर अमल करना पड़ेगा। यह विधान केन्द्र के लिए एक स्थायी और दृढ़ विधान होगा और इसमें प्रांतों के लिए भी स्थायी और दृढ़ विधान होंगे जिन पर, केन्द्र के आधीन और एक राज्य के अन्तर्गत जिसकी परिकल्पना की जा रही है—अमल किया जायेगा।

इसलिए, श्रीमान् मैं निवेदन करता हूं कि सभा द्वारा यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाये। जैसा कि मैंने पहले कहा है इस पर दो संशोधन आए हैं। उनमें एक संशोधन का उद्देश्य यह है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुने जाने वाले सदस्यों के स्थान में 12 सदस्यों को नियुक्त कर दिया जाये जिनके नाम इस भवन को निश्चित रूप से बता दिए जायें। दूसरे का उद्देश्य कोरम निश्चित करना और समय-समय पर खाली होने वाले स्थानों की पूर्ति की व्यवस्था करना है। मैं इन संशोधनों के साथ प्रस्ताव सामने रखता हूं।

***अध्यक्षः** श्रीयुत् मुंशी अपना संशोधन पेश कर सकते हैं।

***श्री सत्यनारायण सिन्हाः** क्या मुझे वह प्रस्ताव पेश करने की आज्ञा दी जा सकती है?

***अध्यक्षः** हां।

***श्री सत्यनारायण सिन्हा:** श्रीमान्, मैं उन संशोधनों को आपकी आज्ञानुसार पेश करता हूं जो श्री मुंशी के नाम से आये हैं:

''कि प्रस्ताव के (अ) अंश में, उन शब्दों के स्थान में जिनका प्रारम्भ 'बाहर सदस्यों' तथा अंत 'एकमात्र परिवर्तनीय वोट' के साथ होता है, निम्न अंश रख दिया जाये:

'नीचे लिखे सदस्य—

1. माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू।
2. श्री शरतचन्द्र बोस।
3. डॉ. पट्टाभि सीतारमैया।
4. माननीय पं. गोविन्दबल्लभ पंत।
5. श्री जयरामदास दौलताराम।
6. श्री विश्वनाथदास।
7. माननीय सर एन. गोपालस्वामी आयंगर।
8. बख्शी सर टेकचन्द।
9. दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर।
10. श्री डी.पी. खेतान।
11. श्री एम.आर. मसानी।
12. श्री के.एम. मुंशी।' ''

यदि श्रीमान्, आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं दूसरा संशोधन भी पेश कर दूं।

***श्री सी.ई. गिब्बन:** श्रीमान् मुझे एक और कानूनी उज्र है। जब श्री मुंशी जिन्होंने इन संशोधनों की सूचना दी है, सभा-भवन में मौजूद नहीं तो क्या उनकी गैर-हाजिरी में उन्हें और कोई पेश कर सकता है?

***अध्यक्ष:** मैं समझता हूं कि यदि अध्यक्ष की अनुमति मिल जाये तो उन्हें कोई भी पेश कर सकता है।

***श्री सत्यनारायण सिन्हा:** दूसरा संशोधन, जो श्री मुंशी के नाम से आया है और जिसे मैं पेश कर रहा हूं, वह इस प्रकार है:

''कि (अ) अंश के अंत में लिखा 'और' शब्द निकाल दिया जाये और तथा (ब) अंश के अन्त का 'पूर्णविराम' 'कामा' में बदल दिया जाये और नीचे लिखा अंश उसमें जोड़ दिया जाये:

''तथा (स) कि कमेटी की इत्तफाकिया खाली जगहें, खाली होने के बाद जहां तक हो सके जल्द, असेम्बली के सदस्यों में से ही अध्यक्ष द्वारा नामजदगी से पूरी कर दी जायेंगी।''

इस प्रस्ताव का तीसरा संशोधन मेरे नाम से आया है और मैं उसे पेश करता हूं। ''(अ) अंश के अन्त का 'और' शब्द निकाल दिया जाये तथा

[श्री सत्यनारायण सिन्हा]

(ब) अंश के अन्त का 'पूर्णविराम' 'कामा' में बदल दिया जाये और नीचे लिखे अंश को उसमें नए पैराग्राफ की तरह जोड़ दिया जाये:

''(स) कि कमेटी के सम्पूर्ण सदस्यों में से एक-तिहाई सदस्यों की उपस्थिति फिलहाल कमेटी के कोरम के लिए अनिवार्य होगी।''

***श्री पी.आर. ठाकुर** (बंगाल : जनरल): यह एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव है, और यह मुकर्रर की जाने वाली कमेटी उन विषयों पर विचार करेगी जो केन्द्र के लिए सुरक्षित रखे जायेंगे। मेरे मित्र माननीय श्री राजगोपालाचार्य ने देश भर में अमन-चैन कायम रखने तथा अकालों की रोकथाम करने के बारे में कुछ नहीं कहा। यह दोनों चीजें आवश्यक हैं और मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि हम बंगाली इनके कड़वे फल अच्छी तरह चख चुके हैं—अभी हाल में हमें बंगाल में साम्प्रदायिक दंगों का सामना करना पड़ा और अकाल भी पड़ चुका है। हमने स्थानीय सरकार से मदद मांगी, लेकिन वह मदद देने में असमर्थ थी, और हम केन्द्र से कोई अपील न कर सके। दूसरी बात यह है कि जब अन्तरिम सरकार बनी तो वायसराय महोदय ने कहा कि यह सरकार प्रांतीय सरकारों के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी। यदि केन्द्र साम्प्रदायिक दंगा तथा अकाल का शिकार होने वाले प्रांतों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता तो वहां की जनता पर क्या बीतेगी, उसका ख्याल हमें करना होगा। मैं आशा करता हूं कि यह कमेटी इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी, ताकि देश भर में अमन-चैन बनाए रखने और अकाल की रोकथाम करने के बारे में कार्रवाई की जा सके। दूसरी बात, जो मैं इस परिषद् के जरिए कांग्रेस हाईकमान्ड के सामने लाना चाहता हूं, यह है कि न मालूम क्यों लोगों के दिल में यह ख्याल हो रहा है कि कांग्रेस हाईकमान्ड जनता के प्रति हमदर्दी नहीं रखता। वह बंगाल की कीमत पर आजादी हासिल करना चाहता है। मैं आशा करता हूं कि यह कमेटी इस पहलू पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी, ताकि भविष्य में बंगाल न तो साम्प्रदायिक दंगों से पीड़ित हो सके और न अकाल से ही।

***श्री जयपाल सिंह** (बिहार : जनरल): अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी ही आकर्षक सूची है और मुझे इसके खिलाफ कोई व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है। मैं जानता हूं कि श्री सत्यनारायण सिनहा द्वारा प्रस्तावित किए गए नाम बड़े प्रसिद्ध व्यक्तियों के हैं। लेकिन अब जबकि श्री राजगोपालाचार्य का कहना है कि (ब) के अन्तर्गत अध्यक्ष कमेटी में दस व्यक्तियों को और बढ़ा सकते हैं तो मैं यहां कुछ कहने की आवश्यकता महसूस करता हूं। इसका अर्थ यह है कि श्री राजगोपालाचार्य ने हमारे अनुप स्थित मित्रों के लिए जगह छोड़ दी है। यदि उन्होंने यह बता दिया होता कि पहले प्रस्तावित बारह नामों के बाद, अध्यक्ष अब जिन सदस्यों को नामजद करेंगे वह अमुक-अमुक दलों या गुटों में से होने चाहिएं तो मुझे कुछ कहने की

जरूरत न थी। सूची देखने में प्रतीत होता है कि यह योजना एकता के लिए नहीं, वरन् समानता (Uniformity) के लिए है। मिसाल के तौर पर, मैंने इस सूची में डॉ. जयकर, डॉ. अम्बेडकर तथा डॉ. देशमुख—जैसे व्यक्तियों के नाम देखना पसन्द किया होता।

***माननीय श्री सी. राजगोपालाचार्यः** अध्यक्ष महोदय, क्या आप वक्ता से माइक्रोफोन के पास आकर बोलने की प्रार्थना करेंगे? मैं उनकी आवाज सुनने में असमर्थ हूं।

***श्री जयपाल सिंहः** जब मैं कल चीखकर बोला तो पं. गोविन्दबल्लभ पंत ने समझा कि मैं बहुत उग्र हो रहा था और मैंने अपने मन में सोचा कि आज सवेरे मैं धीरे-धीरे बोलूंगा। लेकिन, अब मैं श्री राजगोपालाचार्य के फायदे के लिए, चाहे पं. गोविन्दबल्लभ पंत कुछ भी महसूस क्यों न करें, चिल्ला कर बोलूंगा। मैं श्री राजगोपालाचार्य की सुविधा के लिए अपनी आवाज तेज करूंगा।

***अध्यक्षः** माइक्रोफोन (ध्वनि विस्तारक यन्त्र) के सामने आकर चिल्लाने की इतनी आवश्यकता नहीं जितनी बोलने की।

***श्री जयपाल सिंहः** यदि चारों ओर माइक्रोफोन लगे होते तो मुझे उस माइक्रोफोन के पास आने की आवश्यकता न होती, तब तो यहां से ही चारों ओर सदस्यों पर निगाह डालने से काम चल जाता। मेरा निवेदन है कि जब श्री राजगोपालाचार्य ने यह कहा कि भविष्य में अध्यक्ष द्वारा नामजद होने वाले दस सदस्यों के स्थान हमारे अनुपस्थित मित्रों के लिए सुरक्षित हैं, तो मैंने सोचा कि उन विभागों, गुटों तथा दलों को, जिनका यहां बताए गए बारह व्यक्यिों के बीच कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, शामिल करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं रखी गयी। मैं जानता हूं कि जहां तक हमारे वर्ग का सम्बन्ध है, इस सभा का रुख आज भी वैसा ही प्रतीत होता है जैसा उनके प्रति अतीत काल में रहा है कि उन्हें जीवन की अच्छी चीजों से हमेशा के लिए महरूम कर दिया जाये।

यह बड़ी महत्त्वपूर्ण बात है। यह मेरी अपनी धारणा है, चाहे वह ठीक भले ही न हो। हो सकता है कि कम महत्त्वपूर्ण कमेटियां हमारे साथ ईमानदारी का बर्ताव करें। मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरी समझ में इसका कोई कारण नहीं आता कि यहां भी कबीले वालों को कोई प्रतिनिधित्व क्यों नहीं किया जा सकता था। जब मैं यह कहता हूं कि इस कमेटी में मैंने डॉ. जयकर, डॉ. अम्बेडकर तथा डॉ. देशमुख सरीखे धुरन्धर पंडितों को देखना पसन्द किया होता तो मैं कोई संशोधन पेश नहीं कर रहा, वरन् अपना विचार प्रकट कर रहा हूं। जिन बारह सदस्यों के नाम ऊपर बताये गये हैं, मेरी समझ में उन्हीं की भांति यह भी उच्च कोटि की सेवा कर सकते हैं मैं संशोधन पेश नहीं करता, किन्तु मैं यह कहने के लिए लाचार हूं कि जब मैंने देखा कि इस कमेटी की सदस्यता से कबायली क्षेत्रों को एकदम दूर रखा गया है और इसके साथ ही हमारे उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों को भी जिनके नाम मैं पहले बता चुका हूं, तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा।

***सरदार हरनाम सिंह** (पंजाब : सिख): मेरी मंशा इस प्रस्ताव पर भाषण देने की नहीं है। किन्तु मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसी कमेटी नहीं है जिसमें साम्प्रदायिक अथवा कबायली प्रतिनिधित्व आवश्यक—परम आवश्यक—हो। जैसाकि प्रस्ताव में बताया गया है, यह कमेटी सिर्फ यूनियन-विषयों की सीमा को जानने के लिए बनाई गई है। इस कमेटी का उद्देश्य यूनियन-विषयों की व्यापकता स्थिर करना नहीं है। इसलिए मैं सभा से निवेदन करता हूं कि उसका कोई सदस्य साम्प्रदायिक अथवा कबायली प्रतिनिधित्व के लिए आग्रह न करे। इस कमेटी में इस सभा के सर्वोत्तम व्यक्तियों को शामिल होना चाहिये जो यूनियन-विषयों के क्षेत्र और सीमा के बारे में अपनी रिपोर्ट तैयार करके पेश करें। जब यह रिपोर्ट सभा के सामने आयेगी तब हम जो कुछ चाहेंगे वह सुझाव पेश कर सकेंगे।

***प्रो. एन.जी. रंगा** (मद्रास : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि डॉ. अम्बेडकर का नाम इस सूची में शामिल कर लिया जाये और जिन सदस्यों के नाम सुझाये गये हैं उनसे मैं अपील करता हूं कि उनमें से कोई एक सदस्य अपना नाम वापस ले ले।

***माननीय श्री सी. राजगोपालाचार्य:** श्रीमान्, मैं इस सभा से निवेदन करूंगा कि वह इस पर अन्य दृष्टिकोण से विचार न करके केवल उस दृष्टिकोण से ही विचार करे जो श्री हरनामसिंह ने सामने रखा है। फिर भी, यदि आप इन नामों को एक बार फिर पढ़ें तो आप इनमें उन व्यक्तियों को पायेंगे जिनका किसी दल से सम्बन्ध नहीं है, जिनका समय कठिन समस्याओं का सामना करने और कठिन गुत्थियों को सुलझाने में बीता है तथा कानून बनाने की कला में जिन्हें कम या बेशी विशेषज्ञ कहा जा सकता है। अंश (ब) के मुताबिक, इस कमेटी में अध्यक्ष दस व्यक्तियों को और बढ़ा सकते हैं। अध्यक्ष को यह अधिकार व्यर्थ ही नहीं दिया गया है। उन्हें यह अधिकार त्रुटियां दूर करने के लिए दिया गया है। जब मुस्लिम लीगी सदस्य, जो इस समय अनुपस्थित हैं, शामिल हो जायेंगे तो अध्यक्ष इस स्थिति पर विचार करेंगे। तब हम जान सकेंगे कि असली बात क्या है? दरअसल, इस प्रस्ताव का इरादा यह नहीं कि अध्यक्ष नामजदगी के इस अधिकार का मनमाने ढंग से उपयोग करें। जब मुस्लिम लीगी सदस्य शामिल होंगे तो वह उनके विचारों को मालूम करेंगे और वह उनसे अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजने को कहेंगे। इस प्रकार लीगी प्रतिनिधि भी आ जायेंगे।

एक दूसरा पक्ष और अनुपस्थित है—वह है रियासतें। अध्यक्ष यह स्वयं विचार करेंगे कि इस विशेष काम के लिए रजवाड़ों का सबसे ठीक प्रतिनिधित्व कौन कर सकेंगे और वह उनको भी शामिल कर लेंगे। फिर भी जगह बची तो मुझे इसमें शक नहीं कि अध्यक्ष इस भवन के अन्य विख्यात कानून-विशारदों को भी

शामिल करने से न चूकेंगे जिनमें कुछ के नाम अभी यहां पर बताये गये हैं। तब, यह कमेटी एक मजबूत कमेटी बन जायेगी। इसी भरोसे पर मैं सभा से प्रार्थना करता हूं कि वह मौजूदा संशोधनों के साथ इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले।

***अध्यक्षः** अब मैं यह प्रस्ताव वोट के लिए रखता हूं। क्या प्रस्ताव को फिर पढ़ने की आवश्यकता है? (माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।)

***एक माननीय सदस्यः** प्रो. रंगा का संशोधन क्या हुआ?

***अध्यक्षः** श्री रंगा ने संशोधन थोड़े ही पेश किया है। उन्होंने तो केवल एक सुझाव दिया है। अब मैं संशोधित प्रस्ताव को वोट के लिए रखता हूं।

संशोधित प्रस्ताव मंजूर हो गया।

***अध्यक्षः** मेरे पास 'आर्डर पेपर' पर श्रीमती जी. दुर्गाबाई तथा श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर का एक प्रस्ताव है। मैं समझता हूं, उनका इरादा इसे पेश करने का नहीं।

सभा स्थगित करने का प्रस्ताव

***श्री सत्यनारायण सिन्हा** (बिहार : जनरल): मैं निम्न प्रस्ताव पेश करता हूं जो मेरे नाम से आया है:

> ''परिषद् की यह प्रारम्भिक बैठक अप्रैल की उस तारीख तक स्थगित होती है जिसे आगे चल कर स्वयं अध्यक्ष मुकर्रर कर सकेंगे।''

श्रीमान्, मैं बता सकता हूं कि प्रारम्भिक अधिवेशन की अगली बैठक में हम आम कार्यक्रम तथा यूनियन कमेटी की रिपोर्ट और अन्य किन्हीं विषयों पर, जो परिषद् के सामने आ सकते हो, विचार करेंगे।

***श्री के. सन्तानम्** (मद्रास : जनरल): श्रीमान्, हमें यहां एक वैधानिक आपत्ति है। मैं नहीं समझता कि जैसा अभी कहा गया है उस तरह तारीख को अनिश्चित कैसे छोड़ा जा सकता है; क्योंकि नियम 21 के पहले खण्ड में लिखा है कि अध्यक्ष अधिवेशन स्थगित न करेंगे.....।

***अध्यक्षः** मेहरबानी करके माइक्रोफोन पर आ जाइये।

***श्री मोहनलाल सक्सेना** (संयुक्तप्रान्त : जनरल): मैं प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री सेठ गोविन्दासः अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव की क्या जरूरत है। यह अध्यक्ष जी के हाथ में है कि वह इस परिषद् का अधिवेशन कब बुलायें। पहले भी जब अधिवेशन मुल्तवी हुआ था तब क्या कोई प्रस्ताव पास किया गया था? इसलिए मेरा ख्याल है कि इस प्रस्ताव की कोई जरूरत नहीं है। आज यह अधिवेशन मुल्तवी हो रहा है। अब आपको अधिकार है कि जब चाहें उसको बुला लें।

***अध्यक्षः** 21वें नियम के मुताबिक परिषद् की बैठक उन तारीखों को होगी जिनको समय-समय पर अध्यक्ष मुकर्रर कर दिया करेंगे, किंतु इसमें शर्त यह है कि अध्यक्ष कभी एक बार में तीन दिन से अधिक समय के लिए अधिवेशन को स्थगित न करेंगे और यदि वह ऐसा करना चाहेंगे तो उसके लिए परिषद् की अनुमति आवश्यक होगी। इसके अलावा अध्यक्ष अधिवेशन को अगले चालू दिन के लिए स्थगित कर सकते हैं। निष्कर्ष यह है कि इस नियम के अन्तर्गत, यदि अधिवेशन को तीन दिन से अधिक समय के लिए स्थगित करना है तो सभा की अनुमति लेना आवश्यक है।

***श्री के. संतानम्:** मेरा कहना यह है कि अधिवेशन परिषद् की अनुमति से एक निश्चित तारीख तक के लिए स्थगित होना चाहिए, अन्यथा अध्यक्ष को 30 दिन की ढिलाई मिल जाती है जबकि उन्हें इस बारे में केवल तीन दिन की गुंजाइश दी गयी है। मैं प्रस्ताव के गुणदोष के विचार से उस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं। नियम-निर्मातृ-समिति ने नियमों को बड़ा कठिन बना दिया है और उसे देखते हुए मेरी समझ में यह ठीक न होगा अगर हम नियमों का सही अर्थ नहीं लगाते।

***अध्यक्षः** 21वें नियम के मुताबिक परिषद् की बैठक उन तारीखों को होगी जिनको समय-समय पर अध्यक्ष मुकर्रर करें किन्तु इसमें शर्त यह है कि अध्यक्ष कभी एक बार तीन दिन से अधिक समय के लिए अधिवेशन को स्थगित न करेंगे, और यदि वह ऐसा करना चाहेंगे तो उसके लिए परिषद् की अनुमति आवश्यक होगी। इस नियम में यह नहीं बताया गया कि अधिवेशन एक निश्चय तारीख के लिए स्थगित होना चाहिए। इसमें जो कुछ बताया गया है वह इतना ही है कि यदि अधिवेशन तीन दिन से अधिक समय के लिए स्थगित करना है तो सभा की मंजूरी लेनी पड़ेगी।

***एक माननीय सदस्यः** 68वां नियम आपको पर्याप्त अधिकार देता है।

***अध्यक्षः** मैं समझता हूं कि 21वां नियम ही काफी है।

***श्री एच.वी. कामत** (मध्यप्रान्त तथा मद्रास : जनरल): यद्यपि मैं सिद्धांतत: इस प्रस्ताव का विरोध नहीं करता फिर भी मैं चाहता हूं कि इसे अधिक स्पष्ट और साफ होना चाहिए। जब हमारी पिछली बैठक दिसम्बर में हुई थी तो हमने आशा की थी कि प्रारम्भिक अधिवेशन उस महीने में खत्म हो जायेगा..... [माननीय सदस्य] (नहीं, नहीं)। तब हमारी बैठक जनवरी के लिए स्थगित हो गयी। अब हम फिर अप्रैल तक के लिए टाल रहे हैं। इसका मतलब यह कि प्रारम्भिक अधिवेशन छ: महीने से भी ऊपर चला जायेगा। उन माननीय सदस्यों को, जो आज अनुपस्थित हैं, यह साफ-साफ बता देना चाहिए कि परिषद् निश्चय करती है कि भविष्य में उसका अधिवेशन स्थगित न किया जायेगा। हम प्रारम्भिक अधिवेशन में उन सदस्यों का सहयोग पाने के लिए उत्सुक थे। हम उन लोगों का, जो आज अनुपस्थित हैं, सहयोग पाने की इच्छा रखते हैं और हम चाहते है कि वह विधान बनाने में हमारा हाथ बटाएं। लेकिन यह सब होते हुए भी, क्योंकि कुछ लोग

अनुपस्थित हैं, हम प्रारम्भिक अधिवेशन को बारम्बार स्थगित नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि यह विचार इस प्रस्ताव में शामिल कर लिया जाये कि बैठक इतने अधिक दिनों के लिए स्थगित न की जायेगी कि उसकी तारीख अप्रैल के बाद जाकर पड़े और इस प्रारम्भिक अधिवेशन को फिर भविष्य में और स्थगित न किया जायेगा।

***अध्यक्षः** क्या आप कोई संशोधन पेश कर रहे हैं?

***श्री एच.वी. कामतः** यदि आप चाहें तो मैं संशोधन पेश करूंगा।

***अध्यक्षः** मुझे इस बारे में कोई चाह नहीं।

***श्री एच.वी. कामतः** मैं इसे पेश करूंगा।

***माननीय सर एन. गोपालस्वामी आयंगर** (मद्रास : जनरल): श्रीमान्, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उन विचारों पर फिर दृष्टि डालें जो इस सिलसिले में आपने पहले प्रकट किये हैं। मैं समझता हूं कि श्री संतानम् का कथन बिल्कुल दुरुस्त है। 21वें नियम का परिवर्ती अंश यह है:

> ''कि परिषद् की बैठक उन तारीखों को होगी जिनको अध्यक्ष परिषद् के कार्य-स्थिति का ध्यान रखते हुए, समय-समय पर मुकर्रर करेंगे.....।''

अगला वाक्य नियम के उक्त अंश में केवल शर्त रख देता है कि केवल सीमा निर्धारित करता है। अर्थात्—

> ''शर्त यह कि सभापति अधिवेशन को तीन-दिन से अधिक समय के लिए स्थगित न करेंगे, और यदि वह ऐसा करना चाहेंगे तो असेम्बली की मंजूरी लेना आवश्यक होगा।''

श्रीमान्, यदि मैं भूल नहीं करता तो यह शर्तिया फिकरा अध्यक्ष को तारीख न निश्चित करने का अधिकार नहीं देता। इसका अर्थ केवल यह है कि यदि अध्यक्ष कोई तारीख नियत करते हैं और वह अधिवेशन स्थगित होने के तीन दिन के बाद जाकर कभी पड़ती है, तो उसके लिए परिषद् की मंजूरी लेने की जरूरत है। लेकिन मेरी समझ से तारीख मुकर्रर करना लाजिमी है। सभी मुमकिन कानूनी और दूसरी उलझनों से बचने के लिए, मेरा सुझाव है कि उक्त शर्तिया फिकरे के अनुसार हम अप्रैल में कोई तारीख मुकर्रर कर दें।

***अध्यक्षः** इस विषय पर कानूनी आपत्ति प्रकट की जा चुकी है और मैं उस पर अपनी रूलिंग दे चुका हूं। मैं नहीं समझता हूं कि जब हमारी बैठक स्थगित होने जा रही हो तो उस समय अगली बैठक के लिए मुझे तारीख निश्चित ही कर देनी चाहिए। मैं तारीख बाद में भी निश्चित कर सकता हूं। यह सुझाव अभी हाल में पेश भी किया जा चुका है।

***माननीय श्री सी. राजगोपालाचार्यः** बैठक तीन दिन से अधिक समय तक स्थगित करने के लिए सभा की मंजूरी मिलने पर, अध्यक्ष को समय-समय पर अधिकार होगा कि वह तीन दिन के बाद की कोई भी तारीख मुकर्रर करे।

***श्री एच.वी. कामतः** आपकी अनुमति से, श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 'मुकर्रर करें' शब्दों के बाद एक कामा लगा दिया जाये और उसके आगे निम्न शब्द जोड़ दिए जायें:

''और इस परिषद् की प्रारम्भिक बैठक को और आगे स्थगित न किया जायेगा।''

श्री सेठ गोविन्ददासः सभापति जी, मिस्टर कामत ने जो सुधार पेश किया है उसका मैं विरोध करना चाहता हूं। बात यह है कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आज हम यह समझते हैं कि अप्रैल से आगे हमें इस प्राथमिक अधिवेशन को मुलतवी नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय यदि हमें इस बात की जरूरत मालूम हुई कि हमें इसको बढ़ाना चाहिये तो हम इस प्रस्ताव से बंध जावेंगे और आगे नहीं बढ़ा सकेंगे यह अनुचित बात है। इसलिये मैं समझता हूं कि जो सत्यनारायणसिंह जी का प्रस्ताव है उसे हमें पास करना चाहिए। न हमें कोई तारीख मुकर्रर करना चाहिये कि हम अप्रैल में कब मिलेंगे और न यही स्वीकार करना चाहिये कि आगे हम इसे मुल्तवी न करेंगे। इसलिये मैं इस संशोधन का जो मि. कामत ने रखा है, विरोध करता हूं।

***अध्यक्षः** क्या और कोई बोलना चाहता है?

***माननीय सदस्यः** नहीं।

***अध्यक्षः** श्री सत्यनारायण सिनहा, क्या आप जवाब देना चाहते हैं?

***श्री सत्यनारायण सिनहाः** जब यह प्रस्ताव तैयार किया गया तो हमने इस प्रश्न के हरेक पहलू पर विचार किया और हमने इस बारे में कोई जिक्र न करने का फैसला किया कि प्रारम्भिक अधिवेशन की भविष्य में और बैठक बुलाने का कोई मौका आयेगा या नहीं। मैं कामत जी से अपील करता हूं कि वह अपना संशोधन वापस ले लें। मैं नहीं समझता कि उनके अपने इस संशोधन पर आग्रह करने से कोई मतलब हल हो सकेगा।

***श्री एच.वी. कामतः** स्थिति, जैसी है।

***माननीय सदस्यः** ऑर्डर, ऑर्डर.....।

***श्री एच.वी. कामतः** मैं संशोधन वापस लेने जा रहा हूं।

***अध्यक्षः** अब मैं प्रस्ताव पर मत लेता हूं।

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

उपाध्यक्ष को बधाइयां

***अध्यक्षः** इसके बाद हमारा काम समाप्त हो जाता है। कुछ मित्रों का सुझाव है कि सदस्यों को मौका दिया जाये कि वे डॉ. मुखर्जी के उपाध्यक्ष चुने जाने पर उन्हें बधाई दें। किसी व्यक्ति द्वारा बधाई दी जाने से पहले ही मैं उन्हें अपनी ओर से सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं। क्या कोई बोलना चाहता है?

***श्री रेवरेंड जेरोम डीसूजा** (मद्रास : जनरल): अध्यक्ष महोदय, इस परिषद् के उपाध्यक्ष चुनने के लिए, मुझे डॉक्टर एच.सी. मुकर्जी को दिली मुबारकबाद देने में बहुत खुशी है। मुझे विश्वास है कि मैं इस मुबारकबाद के जरिए इस गौरवशालिनी सभा की भावनाओं को भी जाहिर कर रहा हूं। डॉ. मुकर्जी वह व्यक्ति हैं जिन्हें हमारे देश की प्रत्येक जाति व वर्ग आदर की दृष्टि से देखता है। उन्होंने बंगाल में एक शिक्षा-विशारद की हैसियत से प्रशंसनीय काम किए हैं उनका सम्बन्ध एक ईसाई संस्था से है जिसने अन्य ईसाई संस्थाओं के साथ मिल-जुलकर काम किया है। उनकी विचारशीलता, उनकी देश भक्ति, उनके विनम्र और आकर्षक स्वभाव से सब परिचित हैं और श्रीमान्, मुझे विश्वास है कि यदि उन्हें किसी मौके पर इस सभा की कार्यवाही का संचालन करना पड़ा तो वह उसे उस ढंग से पूरा करेंगे जिसे मैं अगर शानदार न कहूं तो यही कहूंगा कि वह आपके ढंग से मिलता-जुलता होगा जिसकी आपने मिसाल पेश की है। मैं इस विषय पर सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। एक बार फिर डॉ. मुकर्जी को हार्दिक बधाई देते हुए, इस काम में उनकी सफलता के लिए शुभ कामनाएं प्रकट करता हूं।

***श्री विश्वनाथ दास** (उड़ीसा : जनरल): श्रीमान्, विधान-परिषद् के उपाध्यक्ष चुने जाने के लिए, मैं डॉ. मुकर्जी को हार्दिक बधाई देता हूं। डॉ. मुकर्जी इस पद के लिए पूर्णतया योग्य हैं। उनके चुनाव से साबित हो जाता है कि अल्पसंख्यक जातियों को बहुसंख्यक जातियों से किसी प्रकार की आशंका न होनी चाहिए। उनको चुनकर, अल्पसंख्यक जातियों के अलावा बंगाल को भी सम्मान प्रदान किया गया है। मुझे मालूम है कि अखिल भारतीय ईसाई संघ के अध्यक्ष होने के कारण, उन्हें साम्प्रदायिकता के दलदल में खींचने के लिए अनेक बार कोशिशें की जा चुकी हैं। उन्होंने सफलतापूर्वक इन प्रयासों का सदा विरोध किया। मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि वह इस परम्परा को निभाते रहेंगे और अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में सफलता प्राप्त करेंगे। हम उन्हें अपना सहयोग देने में कोई कसर न उठा रखेंगे। मैं उनकी मार्ग प्रशस्ति की कामना करता हूं।

श्री एच.जे. खांडेकरः सभापति जी, मैं डॉक्टर मुकर्जी को बधाई देता हूं।

मैं यहां उस जाति से आता हूं जिसे आज हरिजन कहते हैं। इस देश के अन्दर यह जाति नौ करोड़ के करीब है और उनकी ओर से मैं डॉक्टर साहब

[श्री एच.जे. खांडेकर]

को बधाई देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि असेम्बली का काम वह बहुत ठीक तरह से करके सारे प्रश्नों को हल करेंगे। इतना कह कर मैं अपनी बात खत्म करूंगा।

***डॉ. जोजेफ आलबन डीसूजा** (बम्बई : जनरल): अध्यक्ष महोदय, अपने मित्र रेवरेंड जेरोम डी'सोजा के प्रत्येक शब्द का मैं समर्थन करता हूं। जो उन्होंने डॉ. मुकर्जी के उपाध्यक्ष चुने जाने के सम्बन्ध में कहे हैं। डॉ. मुकर्जी उन पांच अध्यक्षों के बीच पहले उपाध्यक्ष हैं जो निकट भविष्य में इस महती परिषद् के लिए नियुक्त होने वाले हैं। श्रीमान्, यदि मैं इस समय डॉ. मुकर्जी का सम्बन्ध खासकर उस सम्प्रदाय से व्यक्त करूं जिस सम्प्रदाय—इस महान् राष्ट्र के भारतीय ईसाई सम्प्रदाय, का मैं स्वयं हूं तो इसके लिए मुझे क्षमा किया जाये। श्रीमान् मैं समझता हूं और अनुभव करता हूं कि डॉक्टर एच.सी. मुकर्जी की नियुक्ति द्वारा वास्तव में भारत के भारतीय ईसाई सम्प्रदाय को सम्मानित किया गया है।

श्रीमान्, क्या इस अवसर पर मैं भारतीय ईसाइयों को एडवाइजरी कमेटी में प्रतिनिधित्व मिलने का उल्लेख कर सकता हूं? हमें इस कमेटी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला हुआ है और मैं डॉक्टर एच.सी. मुकर्जी से आशा करता हूं कि वह एडवाइजरी कमेटी के इस विभाग को अपनी पूर्ण योग्यता द्वारा हर मुमकिन मदद देंगे ताकि वह भारतीय ईसाई जाति के मामलों को पूर्ण संतोषजनक रीति से निबटा सकें। जैसा कि फादर जेरोम आपको पहले ही बता चुके हैं, डॉ. मुकर्जी ने, दरअसल, बहुत बड़े-बड़े काम किये हैं। बंगाल प्रांत में, उन्होंने यह साबित कर दिया है कि राजनीतिज्ञता के मामलों तथा अन्य सभी दिशाओं में, वह भारत के उस भाग के जगमगाते हुए सितारे हैं।

श्रीमान्, यह बिल्कुल संभव है कि वह भी किसी दिन उन्हें इस सभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करनी पड़े और यदि कभी ऐसा मौका आता है तो, जैसा कि फादर जेरोम ने कहा है, मुझे विश्वास है कि श्रीमान्, वह अपना काम उतनी ही अच्छी तरह पूरा कर दिखायेंगे जितनी अच्छी तरह करने का श्रेय प्राप्त है। मैं डॉक्टर एच.सी. मुकर्जी को बधाई देता हूं और मैं एक बार फिर कहता हूं कि उनको बधाई देने के बहाने मैं भारतीय ईसाई जाति को उस सम्मान के लिए बधाई दे रहा हूं जो उसे प्रदान किया गया है। आपको अनेक धन्यवाद।

***डॉ. एच.सी. मुकर्जी** (बंगाल : जनरल): अध्यक्ष महोदय, देवियो और सज्जनों। मैं यकीन करता हूं कि आप मुझे यहां आप-बीती सुनाने के लिए पहले से ही क्षमा करेंगे। मैं आपके सामने वह कहानी बयान करने जा रहा हूं कि मैं ईसाई साम्प्रदायिकता के दलदल से निकलकर कैसे राष्ट्रवादी ईसाई बना। यह मेरे जीवन की केवल एक आकस्मिक घटना थी जिसने मुझे राजनीति के मैदान में लाकर खड़ा कर दिया। यह और कुछ नहीं, सिर्फ एक जिद की बात थी। कुछ लोगों ने मुझे चुनाव में खड़े होने के लिए उकसाया, किन्तु जब वक्त आया तो वह

साथ छोड़कर लम्बी तान गये। पर मैंने यह दिखा देने का पक्का इरादा कर लिया कि यद्यपि मैं अभी तक सोलहों आने एक अध्यापक ही रहा हूं, फिर भी एक अध्यापक के लिए यह संभव है कि वह रुपया ऐंठने वाले किसी भी मतदाता से बेहतर आदमी हो सकता है। मैं जिन महाशय के विरुद्ध चुनाव लड़ रहा था वह दैवयोग से मुझसे अधिक अनुभवी व्यक्ति थे और वह मेरी अपेक्षा अपनी जाति की अधिक काल से सेवा करते आ रहे थे। यह भी कुछ दिनों की हवा थी कि राष्ट्रीय भावनाओं की अपेक्षा साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काना अधिक उपयोगी साबित होता था। मैं अत्यन्त लज्जापूर्वक स्वीकार करता हूं कि तब मैंने भी जो कुछ जी में आया वह किया। मेरे प्रतिद्वन्द्वी ने साम्प्रदायिकता के नाम पर अपील की। मैंने इस आधार पर उससे भी अधिक जोरदार अपील की। इस प्रकार मैंने राजनीति में पदार्पण किया। किंतु जब सदस्यों ने मुझसे भारतीय ईसाइयों की अखिल भारतीय कौंसिल के अध्यक्ष की हैसियत से, गरीब ईसाइयों के पास जाकर उनकी हालत देखने की प्रार्थना की तो मुझे उस समय मालूम हुआ कि भारतीय गरीब ईसाइयों की हालत भी भारतीय गरीब हिन्दुओं तथा मुसलमानों से किसी कदर बेहतर नहीं। बस, उसी समय मैं साम्प्रदायिकता की कीचड़ से बाहर निकला और राष्ट्रवादी बन गया। यदि आज आपने मुझे उपाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित कर सम्मानित किया है तो, विश्वास रखिये कि जब तक मैं उस पर रहूंगा मैं सम्प्रदायवादी की भांति कभी आचरण न करूंगा, वरन् मैं अपने देश की गरीब जनता के प्रति अपने कर्तव्य का पूरा-पूरा ध्यान रखूंगा। मैं वकील नहीं, मैं नीतिज्ञ भी नहीं। मैंने अपने जीवन के बयालीस वर्ष अध्यापक अथवा विद्यार्थी बनकर बिताये हैं। मैं नहीं जानता कि आपने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे मैं पूरी करने के काबिल भी हूं या नहीं; लेकिन मैं एक बात अवश्य जानता हूं कि मैं उसे ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश करूंगा, और इस प्रकार मैं इस सभा की शान बढ़ाने और अपनी उस जाति के लिए नेकनामी कमाने की आशा करता हूं जिसके पक्ष में कम-से-कम फिलहाल एक बात तो कही ही जा सकती है कि उसने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने देश की प्रगति में कभी भी कोई रोड़ा नहीं अटकाया।

(*जोरदार हर्षध्वनि*)

अध्यक्ष के नाम श्री सोमनाथ लाहिरी का पत्र

***श्री एच.वी. कामतः** अध्यक्ष महोदय, काम खत्म होने से पहले मुझे इस बात की अनुमति दें कि मैं आपका ध्यान उस तथ्य की ओर आकृष्ट करूं कि हममें से कइयों को उस पत्र की कापियां मिली हैं जो माननीय मित्र, श्री सोमनाथ लाहिरी ने आपके नाम भेजा है। श्रीमान्, मैं निवेदन करता हूं कि हमें यहां भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की उस राजनीति के बारे में कुछ भी कहना अभीष्ट नहीं जिस पर हममें से अनेक लोगों के विचार भिन्न-भिन्न हैं।

***सरदार हरनाम सिंहः** श्रीमान्, यहां पर यह कानूनी आपत्ति पैदा होती है कि श्री सत्यनारायण सिंह द्वारा पेश किया गया वह प्रस्ताव पास हो चुका है जिसके

[सरदार हरनाम सिंह]

अनुसार यह बैठक अप्रैल की किसी तारीख तक के लिए स्थगित कर दी गयी है। इस सूरत में अब कोई काम नहीं किया जा सकता।

***अध्यक्ष:** मैंने श्री कामत को इस सभा के सामने उस एक तथ्य को पेश करने की अनुमति दे दी है जिसे उसके सामने लाने की आवश्यकता है। कुछ दिन हुए, मुझे श्री सोमनाथ लाहिरी से एक पत्र मिला था जिसमें उन्होंने शिकायत की थी कि पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली और विधान-परिषद् की कार्यवाही से सम्बन्ध रखने वाले कागजात तथा भाषणों के लिए तैयार किये गये नोट उठा ले गयी। उन्होंने यहां पर अपने अधिकार का प्रश्न उठाते हुए लिखा है कि क्या पुलिस की यह कार्यवाही न्यायपूर्ण है और क्या मैं उनके बचाव के लिए कुछ कर सकता हूं? यही वह घटना है जिसे कामत जी बताना चाहते हैं। इसलिए मैंने उन्हें सारा दास्तान कह सुनाने की अनुमति दे दी है। मामला यह है कि जब मुझे यह पत्र मिला तो मैंने उसे कानूनी सलाहकार के पास भेज दिया, क्योंकि उस पर विचार करने के साथ कानूनी सवाल पैदा हो जाता है। मुझे यह पत्र आज सवेरे ही मिला है। इसलिए मैं अभी यह निश्चय नहीं कर सका कि इस बारे में कार्यवाही की जानी चाहिए अथवा क्या कार्यवाही आवश्यक है। जब मैं इस मामले का अध्ययन कर लूंगा तो मैं उस पर विचार करूंगा, और यदि किसी कार्यवाही की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं वह करूंगा; और यदि वह मेरे वश की न होगी तो मैं सारे मामले को वहीं छोड़ दूंगा।

***श्री सोमनाथ लाहिरी** (बंगाल : जनरल): क्या मैं, श्रीमान्, आपको यहां याद दिला सकता हूं कि आप सिर्फ इस परिषद् के अध्यक्ष ही नहीं, बल्कि अंतरिम सरकार के सदस्य भी हैं?

***अध्यक्ष:** इस सभा-भवन में, मैं और कुछ नहीं हूं।

अब यह सभा अप्रैल के महीने की उस तारीख तक स्थगित की जाती है जिसे मैं बाद में मुकर्रर कर सकता हूं।

इसके बाद, परिषद् अप्रैल के महीने की उस तारीख तक के लिये स्थगित की गयी जिसे आगे चलकर माननीय अध्यक्ष मुकर्रर कर सकेंगे।